

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021 — ज्येष्ठ 20, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 जून 2021

आदेश

क्रमांक 5673/1258/21-ब/छ.ग./2021. — राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जशपुर, जिला जशपुर के पद पर आदेश क्रमांक 9729/1862/21-ब/छ.ग./2019 रायपुर दिनांक 20-09-2019 के जरिये श्री संतोष महापात्र को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा उक्त परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गई है, जिन्हें नियमित करने का निर्णय लिया गया है.

अतः राज्य शासन एतद्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जशपुर जिला जशपुर के पद पर श्री संतोष महापात्र को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 20-10-2020 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन्हें उक्त कालावधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.